संशोधित पत्र

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 925-2014/1/9 भोपाल, दिनांक 05 /05/2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

शासन के समस्त विभाग,

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त संभागीय आयुक्त,

समस्त कलेक्टर,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

मध्यप्रदेश।

विषयः- शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली समय पर लिखे जाने के संबंध में।

संदर्भः- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक दिनांक एफ05/4/98/9-1 दिनांक 13.01.99 एवं एफ 05-02/2009/1/9 दिनांक23/07/2014 एफ क्रमांक 05-05/2017/1/9 दिनांक 05/08/2017

--00--

निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक GAD/41/0001/2018-GAD-9-01(GAD) दिनांक 20.04.2018 अपरिहार्य कारणों से एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। अतः परिपत्र को अब निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली लिखें जाने के सबंध में विभागीय परिपत्र दिनॉक 13-1-99 एवं परिपत्र दिनॉक 23-7-2014 में उल्लेखित समय सीमा विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 05-05/2017/1/9 दिनांक 05.08.2017 द्वारा पुनः निर्धारित की गयी है जो निम्नानुसार है:-

1.	संबंधित शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को फॉर्म उपलब्ध कराये जाने की तिथि	30 अप्रैल
2.	सेल्फ असेसमेंट प्रस्तुत करने की अवधि	30 जून
3.	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	31 अगस्त
4.	समीक्षक अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	30 सितम्बर
5.	स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में मतांकन	30 नवम्बर

2/- गोपनीय प्रतिवेदन पर सभी स्तरों से अंतिम रूप से मतांकन की अंतिम तिथि कैलेण्डर वर्ष की अंतिम तिथि अर्थात् 31 दिसंबर रहेगी। 31 दिसंबर की स्थिति में सभी ए.सी.आर संधारण विभाग के संरक्षण में संधारित की जाएगी।

3/- दिनांक 31 दिसंबर के पश्चात् दर्ज होने वाले मतांकन को समय बाधित माना जाएगा और तदाशय की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जाएगी। यदि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने अपना स्वमूल्यांकन 30 जून तक प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसे भी समय बाधित माना जाएगा और तदाशय की सील गोपनीय प्रतिवेदन पर अंकित की जाएगी।

4/- अतः कृपया आपके विभाग के अंतर्गत समस्त शासकीय सेवकों की वर्ष 31.03.2018 को समाप्त होने वाली अवधि की वार्षिक गोपनीय चरित्रावली उक्त निर्धारित समय-सारणी अनुसार अनिवार्य रूप से लिखी जाना सुनिश्चित किया जाए साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि गोपनीय प्रतिवेदन में स्वमूल्यांकन या मतांकन के समय तिथि का उल्लेख निश्चित रूप से किया जाए।

5/- समयावधि में गोपनीय प्रतिवेदन नहीं लिखने वाले प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारियों से विलंब के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारिण किया जाकर संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए दोषी अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया जाए।

6/- उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

File No.GAD/41/0001/2018-GAD-9-01(GAD)

से तथा आदेशानुसार

डॉ.अमिताभ अवस्थी

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक 925-2014/1/9 भोपाल, दिनांक 05/05/2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।

2. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।

Signature valid
Digitally signed by AMITABH AWASTHI
Date: 2018.05.03 17:27:07 IST
Reason: Approved

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग